

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

प्रज अदालत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम - सवाई माधोपुर

बाबू धर वंश बनाम अजित सिंह वंश

फैसल मुकदमा 225 RFA मुकदमा नं. 19 / 26

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
26/2/26	<p>अपील श्री शिवकुमार शर्मा एड. ने पेश की। अपील बाद जोन्स रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील पत्र 2 जे. ही। अपीलार्थ काचिबन्दा को अपील के एडमिशन एवं एमगान प्रार पत्र पर पुना गया। अपीलार्थी कादेश का अवलोकन किया गया। अपीलार्थ द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय SDO बाभनवास के प्रकरण सं. 87/22 में जारी आदेश दिनांक 24/2/26 के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलार्थ काचिबन्दा का मत है कि अपीलार्थ को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29/9/22 को एमगान प्रदान किया गया पर जिले अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थ को विना सुने ही दिनांक 24/2/26 को अपीलार्थ किया गया है। जबकि अपीलार्थ के वादग्रस्त आदेशों में एक एवं काचिबन्दा में है।</p> <p>अपीलार्थ काचिबन्दा को एक पक्षीय बख्त परमना किया। पत्रावली में उपलब्ध डिमांड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 29/9/22 को अपीलार्थ किया गया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय को जौलापलान से जबरन ले। एवं प्रकरण का उल्लेख काचिबन्दा पर निर्धार करना चाहिए। एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24/2/26 को निरस्त किया जाना व्यापोजित है।</p> <p>अतः अपील अपीलार्थ को दिनांक 24/2/26 को जारी आदेश अधिनस्थ न्यायालय SDO बाभनवास द्वारा</p>	

प्रज अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान.....बनाम.....

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रकरण सं. 87/22 में प्रारंभ किया गया निर्णय दिनांक
24/2/26 को अमान्य किया जा रहा है तथा प्रकरण
क्रांतिकारक व्यापारण को इस निर्देश के साथ
प्रति प्रोबित किया जाता है कि प्रकरण में
अप्रामाण्य को सुना जाकर प्रकरण का कदम
वीर माह में कंतिम निरवधारण करने परावर्तित
किसल सुधार होकर 12/3/26 से कार्य होकर
प्रारंभित किया होवे।



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर